बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में

आचार समिति से संबंधित नियम (नियमावली पृष्ठ संख्या-92 से 96 तक) ।

292. ज. (1) आचार समिति का गठन- बिहार विधान सभा की एक आचार समिति होगी, जिसका गठन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। समिति में सभापति सहित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति का कार्यकाल- समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा।

(3) समिति का कृत्य- समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर ध्यान रखना;

(ख) सदस्यों के लिए आचार-संहिता तैयार करना और सभा को प्रतिवेदन द्वारा आचार संहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना;

(ग) सदस्यों के कथित आचरण और दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की जाँच करना;

(घ) स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।

(ङ) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(4) साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख या दस्तावेज मांगने की शक्ति- (क) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत कर सकेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हो:

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न पैदा हो जाए कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है या नहीं, तो यह मुद्दा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा;

(ख) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने लिए गए किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

(5) सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचना- प्रत्येक सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के 90 दिन के भीतर अपने तथा अपने नजदीकी परिवारजन अर्थात पति/पत्नी, आश्रित पुत्रियों तथा आश्रित पुत्र की "परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों" के संबंध में समिति को या समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होगी जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 75क के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित है।

(6) सदस्यों के हितों की पंजिका- (क) समिति द्वारा अवधारित किए गए रूप में "सदस्यों के हितों की एक पंजिका" रखी जाएगी जिसे सदस्य अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्राप्त कर सकेंगे;

(ख) पंजिका का रख-रखाव सभा के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा;

(ग) समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पँजिका में निहित सूचना आम जनता को दी जा सकती है।

(7) शिकायत करने की प्रक्रिया- (क) कोई भी व्यक्ति समिति से सदस्यों के "आचार सम्बन्धी अनैतिक व्यवहार" या किसी सदस्य द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन या किसी सदस्य के हितों के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है;

(ख) समिति ऐसे मामलों को स्वप्रेरणा से भी उठा सकती है;

(ग) सदस्य भी ऐसे मामलों को समिति के पास भेज सकते हैं;

(घ) कोई भी शिकायत समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे रूप एवं स्वरूप में की जायेगी, जैसा कि समिति विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) शिकायत संयमित भाषा में व्यक्त होगी तथा तथ्यों तक सीमित होगी;

(च) शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी तथा अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सहायक दस्तावेजी या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे;

(छ) समिति शिकायतकर्त्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी, यदि शिकायतकर्त्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया गया हो तथा उसके अनुरोध को समुचित कारणों से समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो;

(ज) केवल मीडिया की अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रमाणिक आरोप नहीं माना जाएगा;

(झ) समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्याय-निर्णयाधीन हो तथा इस नियम के उद्देश्य के लिए कि क्या ऐसा मामला न्याय-निर्णयाधीन है या नहीं, समिति के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा।

(8) जांच की प्रक्रिया- (क) यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत उचित रूप में है तथा मामला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो वह मामले को प्रारंभिक जांच के लिए ले सकती है;

(ख) प्रारंभिक जांच के बाद, यदि समिति द्वारा पाया जाए कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो मामले को छोड़ा जा सकता है;

(ग) यदि यह पाया जाता है कि कोई शिकायत असत्य या खिजाऊ है अथवा दुर्भावना से की गई है तो ऐसे मामले को संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे के रूप में विचार किया जा सकता है;

(घ) यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है, तो मामले पर समिति द्वारा जांच तथा प्रतिवेदन देने के लिए विचार किया जाएगा;

(ङ) समिति अपने अधिदेश को कार्य-रूप देने तथा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर उप-नियम बना सकती है;

(च) समिति सामान्यतया अपनी बैठकें बंद कमरे में आयोजित करेगी।

(9) दण्ड- जब भी यह पाया जाए कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक आचरण या अन्य कदाचारपूर्ण कार्य किया है या संहिता / नियमों का उल्लंघन किया है, तो समिति निम्नलिखित दण्डों में से एक या उससे अधिक दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है:-

(क) निन्दा;

(ख) भर्त्सना;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन; तथा

(घ) समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दण्ड।

(10) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना- आचार समिति का प्रतिवदेन समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव- प्रतिवेदन के सभा में उपस्थित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

(12) विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन- कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना, ऐसे रूप में जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए, दे सकता है।

(13) प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बाद प्रस्ताव- प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात् समिति का सभापति या कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधन के साथ सहमत है।

(14) प्रक्रिया का विनियमन- अध्यक्ष, समिति या सभा के सदस्यों के अनैतिक और कदाचार के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(15) नैतिक तथा अन्य कदाचार के प्रश्न को समिति को भेजने के संबंध में अध्यक्ष का अधिकार- इन नियमों में से किसी बात के होते हुए, अध्यक्ष किसी सदस्य के नैतिक तथा अन्य कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को भेज सकता है।

(16) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबंध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।